A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / अपील / 2016	04.07.2016	28.11.2019

घासी खां आ. स्व. ईदया जाति मुसलमान निवासी ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.) हाल निवासी राजीव कॉलोनी, नैनवां।
– अपीलांट

– बनाम –

1. ईस्माइल आ. स्वर्गीय रहमान खां जाति मुसलमान तेली, निवासी ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)
2. श्रीमती हम्मन पुत्री स्व. रहमान खां जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 657 दिनांक 27.05.1992
ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां।

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्टस की ओर से – एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित नामा. सं. 657 दिनांक 27.05.1992 ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलाधीन नामा. घासी फौत होने से उसके वारिसान के नाम पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

बहस वकील अपीलान्टस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम रेटोदा तहसील नैनवां में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 885 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं. 984 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 935 रकबा 10 बिस्वा खसरा सं. 936 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 970 रकबा 05 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में अलादीन, नेनू, कलमू, जुम्मा पिसरान दौलता का 1/4, फकिरिया, घासी पिसरान ईदया खां, कवरद्वीन आ. हजारा व सफीरन पुत्री हजारा का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट स्व. ईदया का पुत्र है। ईदया के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम उनके स्थान पर अंकित किया गया था। अपीलाधीन नामा. सं. 657 दिनांक 27.05.1992 को अपीलान्ट को मृतक बताकर उसके स्थान पर उसके वारिसान का नामा. पारित किया गया है। अपीलाधीन नामा. कानूनी तथ्यों एवं विधि के विपरित पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामा. अपीलान्ट के जीवित होते हुये उसे मृत बताकर उसके वारिसान के नाम फौती नामा. पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट जीवित है। अपीलाधीन नामा. तस्दीक करने से पूर्व खातेदार घासी आ. ईदया के जीवित होने के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट घासी की माता अलाबन्दी द्वारा ईदया से निकाह किया था। अपील बालवस्था में ही घासी अपनी माता के साथ ईदया के पास उनका पुत्र बनकर रहा। अपीलान्ट घासी की परवरिस विवाह स्व. ईदया ने किया। ईदया व अलाबन्दी के देहान्त के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उनके पुत्र के रूप में समस्त धार्मिक व सामाजिक क्रियाक्रम को अन्जाम दिया। ईदया के देहान्त के पश्चात् उसके स्थान पर अपीलान्ट के नाम फौती नामा. तस्दीक किया गया। अपीलान्ट स्व. ईदया के हिस्से की भूमि पर ईदया के खाते की भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अपीलान्ट के जीवित होते हुये उसे मृत बताकर उसके स्थान पर रहमान का नाम नामा. तस्दीक किया गया। रहमान के स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पो. संख्या 01 व 02 ईस्माइल व हम्मन का नाम नामा. में अंकित किया गया जबकि रहमान घासी का पुत्र नहीं है और रहमान का स्व. ईदया की भूमि से कोई संबंध नहीं है। रहमान घासी आ. वजीरा का पुत्र है जिसकी भूमि अलग है। इस प्रकार घासी आ. वजीरा व घासी आ. ईदया अलग–अलग होने के उपरान्त भी ईदया की भूमि का नामा. घासी के जीवित होते हुये भी उसके खाते व कब्जे की कृषि भूमि का नामा. उसे मृत बताकर रहमान के नाम तस्दीक कर दिया गया और रहमान के उपरान्त रेस्पो. सं. 01 व 02 के नाम नामा. तस्दीक किया गया को निरस्त फरमाया जाकर स्व. ईदया के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलान्ट के नाम तस्दीक किये गये नामा. को बरकरार रख अपीलाधीन नामा. दिनांक 27.05.1992 को अपीलान्ट को

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

मृत बताकर उसके स्थान पर उसके वारिसान के नाम तस्दीक किये फौती नामा. को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस अभिभाषक अपीलान्ट पर मनन किया। अपीलाधीन नामा. सं. 657 दिनांक 27.05.1992 अधीनस्थ न्यायालय ने घासी को फौत होना बताकर उसके वारिस रहमान आ. घासी के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट घासी ने अपील में निवेदन किया है कि अपीलान्ट विवादित भूमि का सह खातेदार जीवित है। रहमान घासी का पुत्र नहीं है। रहमान घासी आ. वजीरा का पुत्र है। इस प्रकार घासी आ. वजीरा व घासी आ. ईदया अलग–अलग व्यक्ति है। अपीलान्ट घासी जीवित है तथा घासी आ. वजीरा फौत हो चुका है। अपीलाधीन नामा. में अपीलान्ट घासी को मृत बताकर अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का नामा. रहमान आ. घासी के नाम दर्ज किया गया है। जो गलत है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामा. निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष की सुनवाई कर खातेदारान के हिस्से की राजस्व रेकार्ड से जॉच कर अपीलान्ट घासी व मृतक घासी के खातेदारी कृषि भूमि व वारिसान के संबंध में समुचित साक्ष्य रेकार्ड पर लेते हुये नये सिरे से अपना आदेश पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)